

(4)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 322/2020 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ बनाम 1. लक्ष्मण पिता मांगीया बैरवा निवासी सालमपुरा तहसील माण्डलगढ़

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री देवी लाल गाडरी अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय


दिनांक 19-01-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम सालमपुरा पटवार हल्का जस्सुजी का खेडा की आ.न. 14/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 13.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम सालमपुरा पटवार हल्का जस्सुजी का खेडा की आ.न. 14/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी पर



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगण का कब्जा हैं। विपक्षीगण ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं व उक्त भूमि पर काबिज हैं। विपक्षीगण के आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सालमपुरा पटवार हल्का जस्सू जी का खेडा की आराजी नं. 14/1 रकबा 5.00 बीघा का विधिवत तौर आवंटन कर कब्जा सुपूर्द किया गया। पटवार हल्का द्वारा गलत मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर, गलत तथ्यों पर उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो सारहीन होने से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन के करीब 42 वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं, जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम सालमपुरा के आ.न. 14/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम सालमपुरा के आराजी नं. 14/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम सालमपुरा की आ.न. 14/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति. जिला कलकत्तर
भीलवाड़ा